

आदेश ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या 599/2022 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, आरएसीपीसी II, चित्रकुट, जयपुर।

प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक

बनाम

1. श्री हरीश सक्सैना पुत्र श्री राम बहादुर सक्सैना,
पता:- 64-बी, अशोक नगर, पुरानी चुंगी, अजमेर रोड, जयपुर।
एवं जैन ऑटोमार्ट, एल. एल.पी. 8 केशोपुरा, कमला नेहरू नगर पुलिया के पास, अजमेर रोड,
जयपुर।
एवं फ्लेट नं. 305, जेस्मिन टॉवर, तृतीय तल, शंकरा रेजीडेन्सी(ऑरिजिनल रेजीडेन्सी), ओमेक्स
सिटी, अजमेर रोड, जयपुर।
2. श्री अंशुल सक्सैना पुत्र श्री हरीश सक्सैना,
पता- फ्लेट नं. 5-सी, देवगौडा ब्लॉक, अदुगोडी, बेंगलोर।
एवं फ्लेट नं. सी-9, छठी क्रॉस, देवगौडा ब्लॉक, अदुगोडी पुलिस क्वार्टर के पास, अदुगोडी,
बेंगलोर।
एवं कारस 24 सर्विस(पी) लिमिटेड, ए.के. कॉलोनी, 14 क्रॉस, डोमलायर लैक्सआऊट, बेंगलोर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर



The application under section 14 of The Securitisation
and Reconstruction of Financial Assets and
Enforcement of Security Interest Act, 2002.

उपस्थित

1. श्री विनोद चौहान, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक की ओर से।

आदेश

दिनांक 10.11.2022

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 06.06.2017 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में श्री हरीश सक्सैना के स्वामित्व की संपत्ति फ्लेट नं. 305, जेस्मिन टॉवर, तृतीय तल, शंकरा रेजीडेन्सी(ऑरिजिनल रेजीडेन्सी), ओमेक्स सिटी, अजमेर रोड, जयपुर, क्षेत्रफल 925 वर्गफीट को बंधक रख कर कुल राशि 18,99,000/- रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 08.06.2022 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गए। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास हाईपोथिकेटेड उक्त सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

जिला मजिस्ट्रेट
कलक्टर) जयपुर

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।
3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक ने अप्रार्थीगण को कुल राशि 18,99,000/- रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन.पी.ए. घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि 20,37,226/- रुपये की ऋण सुविधा जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 08.06.2022 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था/बैंक को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था/बैंक को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था/बैंक बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था/बैंक के पक्ष में हाईपोथिकेट की गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा 14 के समर्थन में आवश्यक शपथ प्रस्तुत कर दिया है।
4. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act.2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्राथी वित्तीय संस्था/बैंक के पक्ष में अप्रार्थी श्री हरीश सक्सैना के स्वामित्व की संपत्ति प्लेट नं. 305, जेस्मिन टॉवर, तृतीय तल, शंकरा रेजीडेन्सी(ऑरिज रेजीडेन्सी), ओमेक्स सिटी, अजमेर रोड, जयपुर, क्षेत्रफल 925 वर्गफीट का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

6. आदेश आज दिनांक 10.11.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।



५४०
(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर